

समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा ए0डी0बी0 सम्पोषित पचम्बा-जमुआ-श्रवण (पैकेज-2) पथ परियोजना हेतु ग्राम-धरमपुर, थाना-जमुआ, थाना सं0-461, अंचल- जमुआ, में कुल 0.8490 एकड़ यानि 0.3436 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपयुक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.8490 एकड़ यानि 0.3436 हेक्टेयर है और जो ग्राम-धरमपुर, थाना-जमुआ, थाना सं0-461, अंचल-जमुआ में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र.	खाला सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	28	2/1	रैयती	कृषि	0.1740	कैलाश पिता स्व0 टीपन राणा वो सबकी देवी पति स्व0 पैरू राणा वो करमन राणा पिता स्व0 टीपन राणा	प्लॉट संख्या 2	प्लॉट संख्या 2	प्लॉट संख्या 1	प्लॉट संख्या 30
2	28	2/2	रैयती	कृषि	0.0500	मुन्सी राणा पिता स्व0 रीतु राणा	प्लॉट संख्या 2	प्लॉट संख्या 2	प्लॉट संख्या 1	प्लॉट संख्या 30
4	23	31/1	रैयती	कृषि	0.0300	प्रयाग रविदास पिता स्व0 नन्हकु दास	प्लॉट संख्या 30	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 31	प्लॉट संख्या 32
5	23	31/2	रैयती	कृषि	0.0300	नरेश रविदास पिता स्व0 नन्हकु दास	प्लॉट संख्या 30	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 31	प्लॉट संख्या 32
6	23	31/3	रैयती	कृषि	0.0050	नन्हक दास पिता बोधी दास	प्लॉट संख्या 30	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 31	प्लॉट संख्या 32
7	23	31/4	रैयती	कृषि	0.1750	बबुलाल महतो वो रामचन्द्र प्रसाद वर्मा वो मोहन प्रसाद वर्मा पिता स्व0 किसुन महतो	प्लॉट संख्या 30	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 31	प्लॉट संख्या 32
8	23	31/5	रैयती	कृषि	0.0400	सोमर महतो पिता चुरामन महतो	प्लॉट संख्या 30	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 31	प्लॉट संख्या 32
9	23	35/1	रैयती	कृषि	0.1133	महावीर महतो पिता स्व0 कैला महतो	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 31	प्लॉट संख्या 36
10	23	35/2	रैयती	कृषि	0.1133	राजेन्द्र प्रसाद वर्मा पिता स्व0 कैला महतो	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 31	प्लॉट संख्या 36


11	23	35/3	रैयती	कृषि	0.1134	सुरेश प्रसाद वर्मा पिता स्व० कैला महतो	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 31	प्लॉट संख्या 36
12	33	36	रैयती	कृषि	0.0050	प्रकाश वर्मा पिता स्व० लीलो महतो	प्लॉट संख्या 36	प्लॉट संख्या 36	प्लॉट संख्या 35	प्लॉट संख्या 37
कुल					0.8490					

यदि अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।


ग्राम- X थाना X थाना सं० X अंचल X में कुल X एकड़ यानि X हेक्टेयर जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार निचे दिये गये हैं :-


..... X X


अमीन
गिरिडीह।


कानूनगो
गिरिडीह।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
गिरिडीह।


अपर सभाहर्ता
गिरिडीह।


समाहर्ता,
गिरिडीह।

ज्ञापांक.....418...../भू०अ० दिनांक...03/02/2020...


प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाइट www.giridih.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, जमुआ एवं जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अवर निबंधक, जमुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
गिरिडीह।


अपर सभाहर्ता,
गिरिडीह।


समाहर्ता,
गिरिडीह।